



कार्यालय

अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प०सं०: 781CY-3/509, सी-ब्लाक लोक भवन, लखनऊ।
/एसीएस/2021 दिनांक: 30 अप्रैल, 2021

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उ.प्र./पुलिस महानिरीक्षक, रेंज/पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेंज/पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्ध नगर/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

विषय: ऑनलाईन माध्यम से खान-पान की सप्लाई करने वाली कम्पनियों को कर्फ्यू अवधि में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया गृह गोपन अनुभाग-3 के आदेश संख्या-720/2021-सीएक्स-3 दिनांक 20.04.2021 तथा आदेश संख्या 775/2021-सीएक्स-3 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथ नॉन कोविड मरीजों और डाक्टरों के खानपान की सप्लाई ऑनलाईन आर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को शनिवार, रविवार व सोमवार की बन्दी तथा नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट प्रदान करने का कष्ट करें।

30.04.2021
(अवनीश कुनार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ.प्र.।

30.04.2021
(अवनीश कुनार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट
कारागार एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।